1तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **निगरानी/टि0ए0/800/2005/टोंक** **धापू बनाम बजरंगा**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-06-2018	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपास्थिति :-** श्री योगेन्द्र सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष श्री एस0सी0 पारीक, अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष श्री हेमराज गुप्ता, अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम, 1955) की धारा 230, के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी, पीपलू, जिला टोंक द्वारा दिनांक 20-1-2005 को प्रकरण संख्या 92/1998 अनुवानी बालू बनाम बजरंगा में पारित आदेश के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गई। प्रार्थी पक्ष के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण-प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादीगण/वर्तमान गैर निगराकार के विरुद्ध ग्राम झिराना, तहसील पीपलू स्थित आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया था। प्रतिवादीगण ने जबाब दावा प्रस्तुत कर वाद के कथनों से इन्कार किया। वादीगण-प्रार्थीगण ने दौराने वाद आदेश 7 नियम 14 (3) सहपठित धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया। अप्रार्थीगण की ओर से इस प्रार्थना पत्र का कोई जबाब प्रस्तुत नहीं किया। अधीनस्थ न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 20-1-2005 के द्वारा इस प्रार्थना पत्र को अविधिक रुप से खारिज कर दिया है, जो कि रिकार्ड व तथ्यों के विपरीत है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि दावा वादीगण-प्रार्थीगण का है और पत्रावली अभी साक्ष्य में ही चल रही है, अतः न्याय हित में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेना आवश्यक है ताकि प्रकरण में गुणावगुण आधारित न्याय हो सके। इन दस्तावेजात को रिकार्ड पर लेने से प्रतिवादीगण के अधिकारों पर किसी प्रकार का	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी/टि0ए0/800/2005/टोंक</u>** **<u>धापू बनाम बजरंगा</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	विपरीत प्रभाव नहीं पड रहा है, अतः न्याय हित में निगरानी स्वीकार की जा कर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन निर्णय को निरस्त किया जाए और प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्रआदेश 7 नियम 14(3) सहपठित धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार कर पेश किए गए दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाये। प्रतिवादी–गैर निगराकारान के योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा असत्य कथन किया गया है कि ये दस्तावेजात उनके पास पूर्व में उपलब्ध नहीं थे। जो दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं वे दिनांक 8–12–2004 को नकल ले कर प्राप्त किए गए हैं, अतः ये ऐसे दस्तावेज नहीं रहे हैं जो पूर्व में मिल नहीं रहे हों। वादीगण को ये दस्तावेज या तो वादपत्र के साथ पेश करने चाहिए थे या तनकियात कायमी से पूर्व पृथक से पेश कर सकते थे किन्तु इनके द्वारा जानबूझ कर प्रकरण को अनावश्यक देरीना करने की नीयत से दस्तावेज पेश किए गए हैं, जब कि प्रकरण वर्ष 1998 से लंबित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत तरीके से इनका प्रार्थना पत्र खारिज किया है। निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये, निगरानीधीन आदेश में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उचित नहीं है, निगरानी खारिज की जाये। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादीगण–प्रार्थीगण द्वारा वादपत्र बाबत् इन्द्राज दुरुस्ती, घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया गया था। वादीगण–प्रार्थीगण ने दौराने वाद आदेश 7 नियम 14(3) सहपठित धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने का निवेदन किया। प्रार्थना पत्र के साथ वादी की ओर से नकल जमाबंदी सम्वत् 1915–16 की सत्य प्रतिलिपि, मिलान क्षेत्रफल की प्रतिलिपि प्रस्तुत करने का अंकन किया गया है। चूँकि दावा वादी की ओर से प्रस्तुत किया गया है और वादी अपने पक्ष में लोक दस्तावेजात की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना चाहता है तो न्याय हित में एवं प्रकरण के गुणावगुण पर निस्तारण को देखते हुये, इन दस्तावेजात को रिकार्ड पर लिया जाना उचित कार्यवाही है। यह तथ्य	

1 तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज **<u>निगरानी/टि0ए0/800/2005/टोंक</u>** **<u>धापू बनाम बजरंगा</u>**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सही है कि वादी को ये दस्तावेजात पूर्व में ही प्रस्तुत करने चाहिए थे जो कि उसके द्वारा काफी देरी से पेश किए गए हैं, किन्तु पत्रावली अभी साक्ष्य में ही चल रही है और दस्तावेजात को देरी से प्रस्तुत करने के आधार पर वादी का वास्तविक न्याय प्राप्ति से वंचित किया जाना उचित कार्यवाही नहीं है, अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र हर्जाना लगाए जाने के आधार पर स्वीकार किया जाना हम उचित मानते हैं। फलतः हस्तगत निगरानी इस आशय के साथ स्वीकार की जाती है कि यदि वादी–प्रार्थीगण, प्रतिवादीगण–अप्रार्थीगण को कॉस्ट की राशि रुपये 2,000/– (अक्षरे रुपये दो हजार मात्र) अदा कर देते हैं तो उपखण्ड अधिकारी, पीपलू, जिला टोंक द्वारा दिनांक 20–1–2005 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है और प्रार्थीगण–वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 14(3) सहपठित धारा 151, सिविल प्रक्रिया संहिता को स्वीकार किया जा कर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजात को रेकार्ड पर लेने का आदेश दिया जाता है। कॉस्ट की राशि अदा नहीं करने की स्थिति में यह आदेश प्रभावहीन रहेगा। उभय पक्ष दिनांक 29–06–2018 को उपखण्ड अधिकारी, पीपलू, जिला टोंक के न्यायालय में वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	